D Rems 2016/104

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –01 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
रामनिवास पुत्र रमजीराम जाति जाट निवासी गोटन तहसील मेडता जिला नागौर		1. तहसीलदार, मेडता। 2. सरकार जरिये पटवारी हल्का, गोटन

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

निर्णय **दिनांक** 12-10-2017

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 09 / 2015 सरकार बनाम रामनिवास अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.01.2016 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है एंव कानून की पूरी जानकारी नहीं होने से व रोजगार हेतु खाने कमाने के लिये बाहर गया होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2015 को जारी निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी एंव न ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पाया। अभी हाल ही में पटवारी हल्का गोटन द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 18.12.2015 को देने व अपीलांट को बेदखल करने व मकान हटाने की सूचना देने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 21.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता से नकले प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील पेश की है। न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। राजपैराकार ने कथन किया की प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का गोटन ने भू अभिलेख निरीक्षक गोटन से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी / अपीलांट रामनिवास ने मौजा गोटन के ख.नं. 1754 रकबा 900 वर्गफुट किस्म जमीन गै.मु. भूमि पर मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी / अपीलांट के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। गैरहाजिर बावजूद नोटिस तामिल तारीख पेशी 29.7.2015 को अनुपस्थित रहने से गैरहाजिर के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

कलक्टर, नागौर

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2015 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली व जुर्माने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अप्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का पूरा मौका दिये बगैर व जवाब, पुराने दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का गोटन ने अप्रार्थी/अपीलांट का नया निर्माण बताकर टी.पी. रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जबकि मौके पर अपीलांट का लगभग 40 वर्षों से पुराना अपने पिता के समय व पिता द्वारा निर्मित मकान बना हुआ होने का कथन अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाकर एक पक्षीय रिपोर्ट अपीलांट को सूचित किये बगैर बनाई है एंव टी.पी. रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी बिना मौके पर आये अपने पटवार कार्यालय में बैठे बैठे उक्त रिपोर्ट तैयार की है अगर हल्का पटवारी मौके पर आकर जांच करते तो स्थिति अलग होती किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गलत एंव एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को ही आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के मकान के चिपते अधीलांट के भाई देवाराम का मकान उक्त खसरा नम्बर 1754 में बना हुआ है। जो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सन् 2009 में सरकार द्वारा जारी आदेश से निर्मित करवाया गया। जिसमें सम्पूर्ण राशि सरकार द्वारा वहन की गई एंव उक्त मकान की जानकारी पटवारी हल्का, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी एंव तहसीलदार मेड़ता को भलीभांति थी फिर भी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त मकान अपीलांट के भाई देवाराम का बना होने का कथन नहीं किया जबकि अपीलांट का मकान आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व अपने पिता के समय बना होने के बावजूद भी पटवारी हल्का ने ताजा निर्माण व अतिक्रमण बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश की।

अपीलांट का उक्त भूमि पर लगभग 40 वर्ष पुराना मकान व बाडा बना हुआ है जिसमें अपीलांट व उसके वारिस निवास करते आ रहे है व पूर्व में अपीलांट के पिता ने भी उक्त मकान में निवास किया व उक्त मकान 40 वर्ष पुराने होने व पक्के मकान होने व किस्म गै.मु. भूमि होने से काबिल नियमन योग्य है व इस संबंध में राजस्थान सरकार के परिपत्र क–9(6)राज–6/2000 दिनांक 11.01.2008 को जारी कर सरकार ने रहवास हेतु भूमि नियमन करने के निर्देश समस्त तहसीलदारों, उपखण्ड अधिकारी व ग्राम पंचायतों को भिजवा दिये गये। राजस्थान सरकार के इस परिपत्र अनुसार अपीलांट को नियमन किया जावे व राज्य सरकार के आदेशानुसार अपीलांट उक्त भूमि पर नियमन करवाने की समस्त योग्यताएं होने व उक्त भूमि गै.मु. भूमि नियमन योग्य होने व अपीलांट का आज से 40 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर मकान व बाडा इत्यादि निर्माण किये गये होने के सम्पूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये जाने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील दिनांक 27.08.2015 को निरस्त करने एवं तहसीलदार मेड़ता को वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के हक में नियमन किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट द्वारा ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 1754 रकबा 900 वर्गफुट किस्म गैर मुमकिन भूमि पर मकान बनाकर कर कब्जा किया है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद नोटिस तामील के तारीख पेशी 29.07.2015 एवं 27.8.2015 को अनुपस्थित रहा। इस प्रकार अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वह जानबूझ कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में निर्णय जैर अपील दिनांक 27.08.2015 को पारित गया है, जो निर्णय पूर्णरूपेण उचित है।

राजपैराकार ने अपनी बहस को जारी रखते हुऐ आगे कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर लगभग 40 वर्ष पुराना मकान व बाड़ा बना हुआ होने का कथन करते हुऐ राज्य सरकार के परिपत्र व दैनिक भास्कर दिनांक 7.10.2017 में सरकारी भूमि पर आवासीय पट्टा जारी करने संबंधी खबर की फोटो प्रति प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने का अनुरोध किया है। परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का लगभग 40 वर्ष पूर्व का मकान बना होने व बाड़ा होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं न ही अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है, इसलिए प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में किसी भी प्रकार का विचार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील उचित होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का गोटन ने ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 1754 रकबा 900 वर्गफुट किस्म गैर मुमकिन भूमि पर अपीलांट द्वारा मकान बनाकर कब्जा करने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक, गोटन से सत्यापित रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद नोटिस तामिल के तारीख पेशी 29.07.2015 एवं 27.8.2015 को अनुपस्थित रहा। इस प्रकार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में निर्णय जैर अपील दिनांक 27.08.2015 को पारित गया है।

हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का लगभग 40 वर्ष पुराना मकान व बाड़ा बना हुआ होने का कथन करते हुऐ राज्य सरकार के परिपत्र व दैनिक भास्कर दिनांक 7.10.2017 में सरकारी भूमि पर आवासीय पट्टा जारी करने संबंधी खबर की फोटो प्रति प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने का निवेदन किया है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसका लगभग 40 वर्ष पूर्व का मकान बना होने व बाड़ा होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में किसी भी प्रकार का विचार किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर